

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:- मुसप्र/2019/103

दिनांक:- 03/12/2019

आदेश


आवासीय अभियंता, खण्ड-अलवर/उप आवासन आयुक्त, वृत्त-अलवर/अतिरिक्त मुख्य अभियंता-तृतीय के अधीन अलवर शहर की एन.ई.बी.विस्तार योजना में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के 11 आवासों को खुली बिक्री योजना में नगद भुगतान पद्धति के माध्यम से अनुशंषा के आधार पर निस्तारण करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

क्र.स.	योजना का नाम	आय वर्ग	आवास संख्या	कुल आवास
1	एन.ई.बी. विस्तार योजना, अलवर	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	7/188, 7/191, 7/192, 7/197, 7/205, 7/208, 7/214, 7/220, 7/228, 7/233, 7/237	11
कुल				11

सम्बंधित उप आवासन आयुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य अभियंता द्वारा उक्त आवासों का निस्तारण निम्न शर्तों पर किया जाना सुनिश्चित करें :-


1. फ्लेटों (आवासों) आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक लम्बित नहीं है।
2. उक्त फ्लेटों (आवासों) के अलावा स्कीम में कोई भी अन्य फ्लेट खुली बिक्री योजना हेतु रिक्त नहीं है।
3. उक्त फ्लेटों (आवासों) का निस्तारण उचित प्रचार-प्रसार के माध्यम से किया जावें।
4. फ्लेटों (आवासों) का निस्तारण खुली बिक्री योजना के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से करने पर अधिक आय प्राप्त नहीं हो सकती यह सुनिश्चित कर ही निस्तारण करें।
5. प्रस्तावित फ्लेटों (आवासों) में किसी भी प्रकार का विवाद/न्यायिक विवाद लम्बित नहीं है एवं विधिवत् निरस्त किये गये हैं।

उक्त आदेश को माननीय आवासन आयुक्त का पैरा संख्या 13/एन पर अनुमोदन प्राप्त है।


(डॉ० प्रीति सिंह पंवार)
मुख्य सम्पदा प्रबंधक

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सहायक-सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक(विधि), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय एवं मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. अतिरिक्त निजी सचिव-मुख्य सम्पदा प्रबंधक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत्त- अलवर, राजस्थान आवासन मण्डल, अलवर।
7. आवासीय अभियन्ता खण्ड- अलवर, राजस्थान आवासन मण्डल, अलवर।
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड व सभी को मेल करें।
9. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र (मु.) राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।


मुख्य सम्पदा प्रबंधक